IS 15700:2005

सर्वोत्तम प्रमाणित

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड–20,

आफिस काम्पलेक्स द्वितीय तल, योजना सं.–1, कल्यानपुर कानपुर

Email- cd20knp@upavp.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700 SQMS

पत्र सं0– 519 / S-2/24 दिनांक– 01-06-2020

अल्पकालीन ई–निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिषद की ओर से उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत अनुभवी ठेकेदारों/फर्मों से ई–निविदा, टू–बिड पद्धति में निम्नांकित विवरण के अनुसार प्रतिशत आधार पर आमंत्रित की जाती है, जो उपस्थित निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–20, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद आफिस काम्पलेक्स, कल्यानपुर, कानपुर स्थित कार्यालय में निम्न विवरण के अनुसार खोली जाएंगी। कार्यों की मात्राएं बी.ओ.क्यू. के अनुसार होंगी।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में)	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य समस्त कर सहित (रू0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि(माह)
1	2	3			
1.	जनपद–उन्नाव के पुरवा में निर्माणाधीन अग्निशमन केन्द्र के अवशेष कार्य।	150.00	9.50	रू0 4500.00 + 18% जी.एस.टी.	06 माह

निविदा से सम्बन्धित विवरण	तिथि व समय
Document Download Start	04.06.2020 (4:00 PM)
Document Download End	24.06.2020 (5:00 PM)
Bid Submission Start	05.06.2020 (10:00 AM)
Bid Submission Closing	25.06.2020 (3:00 PM)
Technical Bid Opening	25.06.2020 (3:30 PM)
Financial Bid Opening	To be notified later
Pre Bid Meeting	22.06.2020 at EE, CD-20 Office Time 2.00 PM

ई–निविदा हेतु :–

अ. निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र का मूल्य व धरोहर धनराशि आर.टी.जी.एस. के माध्यम से अलग–अलग निम्न विवरण के अनुसार निविदा खुलने की तिथि दि. 25.06.2020 से एक दिन पूर्व दि. 24.06.2020 को सांय 5.00 बजे तक खण्ड कार्यालय के खाते में जमा किया जाना होगा। वांछित धनराशि खातें में जमा होने की पुष्टि के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जायेगा। खाते का विवरण निम्नवत है :–

Concerning Division Office :- **Executive Engineer, Construction Division-20 Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad, Kanpur.**

Accounts Detail :- **IDBI Bank, R.K. Nagar, Kanpur.**
Account No. - 0898102000008235
IFSC Code - IBKL0000898

ब. निविदा प्रपत्र/धरोहर धनराशि के मूल्य से सम्बन्धित आर.टी.जी.एस. के यू.टी.आर. नम्बर की छायाप्रति निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड किया जाना होगा।

स. निविदा प्रपत्र परिषद की वेबसाइट www.upavp.com के निविदा लिंक पर तथा उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन की वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदार नियमित रूप से उक्त वेबसाइट देखते रहें क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। डिजिटल सिग्नेचर धारक ठेकेदार/फर्मों द्वारा ही आनलाइन निविदा डाली जा सकती हैं।

द. तकनीकी बिड में सफल ठेकेदारों/निविदाओं को फाइनेन्शियल बिड खुलने की तिथि एवं समय अलग से सूचित किया जायेगा।

नियम व शर्तें:

1. निविदादाता/फर्म की निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुसार रायल्टी की रसीद/साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ही बिल का भुगतान अनुमन्य होगा अन्यथा नियमानुसार बिल से कटौती की जाएगी।
2. उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियम नियमावली वर्ष 2009 के विनियम 24(2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा का एकल पंजीकरण करना अनिवार्य है। अतः निविदा स्वीकृति एवं अनुबन्ध गठन के पश्चात् एक

AE-III

EE 1/6/2020

सप्ताह के अन्दर पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जायेगा तथा प्रत्येक देयक से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जायेगी।

3. निविदाओं की बी.ओ.क्यू. में अंकित कार्यों की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य न होगा। निविदा डालने से पूर्व ठेकेदारों/फर्मों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्थल निरीक्षण कर लें क्योंकि बाद में स्थल से सम्बन्धित कोई क्लेम मान्य न होगा।

4. निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक व निविदा की लागत के अनुसार आवश्यक धनराशि के स्टैम्प अनुबन्ध हेतु प्रस्तुत करने होंगे।

5. निविदादाताओं/फर्म को निविदा स्वीकृति की दशा में कार्य की कुल लागत का 10 प्रतिशत जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ.डी.आर./सी.डी.आर. के रूप में जो सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता के पक्ष में बंधक हो, जमा करनी होगी।

6. अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया या उसके उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा एवं दण्ड के रूप में उसकी धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जाएगा।

7. निविदादाता/फर्म द्वारा दिये गए दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाए जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जाएगा एवं निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के बाद बाद होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जाएगा।

8. निविदादाता/फर्म को जी.एस.टी. में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। कार्य की लागत में जी.एस.टी. सम्मिलित नहीं है। नियमानुसार देयता के आधार पर जी.एस.टी. का भुगतान किया जायेगा। निविदादाता/फर्म के सभी देयकों कार्य की लागत पर आयकर, लेबर सेस तथा अन्य कर जो भी सरकार द्वारा लागू किया जाता है, की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

9. यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथि को अवकाश हो जाता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जाएगी।

10. शासनादेश के अनुसार डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि कार्य पूर्ण होने के पश्चात् तीन वर्ष की होगी तथा यह धनराशि कुल निर्माण लागत का 01 प्रतिशत धनराशि नगद के रूप में रोकी जायेगी एवं उक्त धनराशि डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि पूर्ण होने के पश्चात् ही अवमुक्त की जायेगी।

11. समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग/परिषद की नवीनतम विशिष्टियों के अनुसार कराए जाएगें।

12. जी.पी.डब्लू–9 फार्म अनुबन्ध का हिस्सा होगा।

13. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिए। प्रगति आंकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जाएगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित कम्यूलेटिव प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई मान्य न होगा।

14. निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर कम (Below) माना जाएगा।

15. यदि किसी ठेकेदार/फर्म ने स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) जमा की है तो भी निविदा के साथ कुल वांछित धरोहर धनराशि व स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) के अन्तर की धनराशि निविदा के साथ उपर्युक्त रूप में देय होगी।

AE II

EE 1/6/2020

16. शासनादेश संख्या 522/23–12–2012–2 ऑडिट/08 टी.सी.–2 दिनांक 8.6.2012 के अनुसार बी.ओ.क्यू. की दरों से Below दर देने पर ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त जमानत धनराशि निम्न विवरण के अनुसार देय होगी।

अ. 10 प्रतिशत Below तक दर पर 0.50 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम (Below) दर पर।

ब. 10 प्रतिशत से अधिक Below दर पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम (Below) दर पर।

17. शासनादेश संख्या 622/2372–2012–2 आडिट/08 टी.सी.–2 लोक निर्माण विभाग–12 दिनांक 08.06.2012 के क्रम में मुख्य अभियन्ता(म0) के पत्रांक 4196/निविदा/18 दिनांक 14.9.2018 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप बिलों निविदा के मामले में वांछित परफारमेन्स गारन्टी, एल–1 निविदादाता को जमा किये जाने के पश्चात् ही स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी।

18. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदाएं बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई भी क्लेम मान्य न होगा।

19. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

20. निविदादाता को प्रत्येक माह के अन्त में अपना बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

21. किसी भी विवाद हेतु न्यायिक क्षेत्र जनपद–कानपुर नगर होगा।

1/6/2020

(अभिषेक राज)
अधिशासी अभियन्ता

पृ.सं. 519 / S-2 उपरोक्त / 24 दिनांक 01-06-2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. निदेशक, ग्लोबल कान्सट्रक्शन एण्ड कन्सलटेन्सी सेल, नीलगिरी काम्पलेक्स, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
2. संयुक्त निदेशक(मध्य क्षेत्र), ग्लोबल कान्सट्रक्शन एण्ड कन्सलटेन्सी सेल, नीलगिरी काम्पलेक्स, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
3. इंचार्ज कम्प्यूटर सेल, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद 104, महात्मा गॉधी मार्ग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना को आवास विकास परिषद की वेब साइट में फीड करने का कष्ट करें।
4. सहायक अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय, नि0ख0–20, कानपुर।
5. सहा. लेखाधिकारी/सम्बन्धित अवर अभियन्ता, नि0ख0–20, कानपुर।
6. संगणक/नोटिस बोर्ड नि0ख0–20, कानपुर हेतु।

1/6/2020

अधिशासी अभियन्ता